



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 फरवरी, 2021  
माघ 13, 1942 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश शासन  
आयुष अनुभाग-1

संख्या 290/96-आयुष-1-2021-214-2018टी०सी०-1  
लखनऊ, 2 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-34

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 09 जनवरी 2021 को ऐसा दिनांक नियत करती हैं, जिस दिनांक को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,  
प्रशान्त त्रिवेदी,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 290/XCVI-Ayush-1-2021-214/2018T.C.-1, dated 02 February, 2021:

No. 290/XCVI-Ayush-1-2021-214/2018T.C.-1

*Dated Lucknow, February 02, 2021*

IN exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the State Ayush University, Uttar Pradesh Act, 2020 (U.P. Act no. 6 of 2020), the Governor is pleased to appoint 9 January, 2021 as the date on which the said Act shall come into force.

By order,  
PRASHANT TRIVEDI,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 689 राजपत्र-2021-(1357)-599 प्रतियां-(क०/आ०)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० आयुष-2021-(1358)-100 प्रतियां-(क०/आ०)।